संख्या-2/ 2018/ 180/ सत्तर-6-2018-4ए(2)/ 2002

प्रेषक,

डॉ. ध्रुव पाल
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 43 /रा०उ०शि०प०/2018
दिनांक 12.03.2018

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 08 मार्च, 2018

विषय: शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालयों में रोवर्स/ रेंजर्स कैम्प की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-डिग्री विकास/ क्षे0का0इ0/ 17622/ 2017-18, दिनांक 15.02.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालयों में रोवर्स/ रेंजर्स कैम्प की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित कुल धनराशि ₹3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) के सापेक्ष (प्रान्तीय स्तर की रैली (शिविर) के आयोजन पर व्यय हेतु ₹80,000.00 (रू0 अस्सी हजार मात्र), रोवर्स/ रेंजर्स, छात्र-छात्राओं तथा प्रभारी शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं विश्वविद्यालय स्तर की रैली (शिविरों) आयोजित करने हेतु ₹2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) तथा कार्यालय व्यय के निमित्त हेतु ₹20,000.00 (रू0 बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसे आपके निस्तारण पर रखे जाने की स्वकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- यह स्वकृति इस शर्त के अधीन दी जा रही है कि उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार उल्लिखित मदों पर ही व्यय की जायेगी और उक्त धनराशि का एकमुश्त आहरण न कर यथावश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-73 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800-अन्य व्यय-15-शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में रोवर्स/ रेंजर्स कैम्प की योजना लागू करना-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जाएगा।

डॉ0 (आर0 के0 चतुर्वेदी) अपर सचिव उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ
12.3.18

2/-

4- ये आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/ 2017/ बी-1-1190/ दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ. ध्रुव पाल)
अनु सचिव।

संख्या-2/ 2018/ 31(1)/ सत्तर-6-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20-सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद-211001
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-11/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-5
7- उच्च शिक्षा अनुभाग-4
8- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ. ध्रुव पाल)
अनु सचिव।